

बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग

29/12/17

आदेश

**निबंधित**

सवेदक, श्री अनिल कुमार यादव, दीघा घाट, दीघा, पटना निबंधन सं0-प्रथम(व्यक्तिगत)-07(भवन)/2017 द्वारा महिला आई0टी0आई0 दीघा, पटना में 72 शैय्या वाले गर्ल्स छात्रावास के निर्माण कार्य में निविदा में भाग लिया गया।

दिनांक-03.07.2017 को हुई विभागीय निविदा समिति की बैठक में उक्त कार्य की निविदा के निष्पादन के क्रम में तकनीकी बीड की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री अनिल कुमार यादव, दीघा घाट, दीघा, पटना द्वारा जाली प्रमाण पत्र निविदा कार्य में दी गयी है। उक्त के आलोक में संवेदक को "नॉन रिस्पॉन्सिव" करते हुए स्पष्टीकरण/निबंधन नियमावली 2007 के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। मुख्य अभियंता, (पटना) के पत्रांक-2385 दिनांक-11.09.2017 द्वारा संवेदक के विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

दिनांक-09.10.2017 को अभियंता प्रमुख भवन निर्माण विभाग, पटना की अध्यक्षता में संवेदकों के कालीकरण/निलंबन के संबंध में बैठक हुई जिसमें संवेदक श्री कुमार यादव से स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में संवेदक से विभागीय पत्रांक-9569 दिनांक-30.10.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई।

मुख्य अभियंता, (पटना) के पत्रांक-2768 दिनांक-03.11.2017 द्वारा कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, दानापुर के पत्रांक-3238(अनु0) दिनांक-09.10.17 के आलोक में संवेदक को कालीकरण करने संबंधी अनुशंसा पत्र प्राप्त हुई। दिनांक-06.11.2017 को संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया। अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-20.12.17 को कालीकरण/निलंबन के संबंध में बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में समिति द्वारा संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण को अमान्य करते हुए बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका-11क(vii) के आलोक में संवेदक, श्री अनिल कुमार यादव, दीघा घाट, दीघा, पटना के निबंधन सं0-प्रथम(व्यक्तिगत)-07(भवन)/2017 को पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः श्री अनिल कुमार यादव, दीघा घाट, दीघा, पटना निबंधन सं0-प्रथम(व्यक्तिगत)-07(भवन)/2017 को पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए निलंबित किया जाता है।

— अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-डिबार/कालीकृत-14/2017...!!7.20.17(१) पटना, दिनांक-29/12/17

प्रतिलिपि:-संवेदक, श्री अनिल कुमार यादव, दीघा घाट, दीघा, पटना निबंधन सं0-प्रथम (व्यक्तिगत)-07(भवन)/2017 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

— अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक:-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-डिबार/कालीकृत-14/2017.....11720(ग) पटना, दिनांक-29/12/17

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण, विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

—अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-डिबार/कालीकृत-14/2017!!1720(ग) पटना, दिनांक-29/12/17

प्रतिलिपि:-आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव